संख्या-410/2020/752/22-2-2018-17(215)/2011

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर, 2020**

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दाताराम पुत्र श्री मंगली, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17576/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-06-09-2016) दिनांक-15-05-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दाताराम पुत्र श्री मंगली, ग्राम-मधुडांडी, थाना-सुनगढी, जनपद-पीलीभीत वर्तमान पता ग्राम-गजरौला कला, थाना-गजरौला, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। प्रेम-प्रसंग में बंदी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 16.05.1996 को समय लगभग 18:45 बजे बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-812/96 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 302/120बी,148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत के आदेश दिनांक 03.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 19 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 02 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व मुक्ति से कोई अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना प्रतीत होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा प्रेम-प्रसंग में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर निर्दयतापूर्वक बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दाताराम पुत्र श्री मंगली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दाताराम (बन्दी संख्या-15476) पुत्र श्री मंगली, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-410/2020/752(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-410/2020/752/22-2-2018-17(215)/2011

दिनांक 24 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दाताराम (बन्दी संख्या-15476) पुत्र श्री मंगली, ग्राम-मधुडांडी, थाना-सुनगढी, जनपद-पीलीभीत वर्तमान पता ग्राम व थाना-गजरौला जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। प्रेम-प्रसंग में बंदी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 16.05.1996 को समय लगभग 18:45 बजे बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-812/96 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 302/120बी,148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत के आदेश दिनांक 03.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 19 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 02 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व मुक्ति से कोई अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना प्रतीत होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा प्रेम-प्रसंग में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर निर्दयतापूर्वक बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दाताराम पुत्र श्री मंगली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।